11/10/14 DAINIK JAGRAN Pg. 23

एसबीआइ, पीएनबी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चीनी बेच कर गन्ना किसानों का पैसा दिए जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दोनों बैंकों का कहना है कि जो चीनी उनके पास गिरवी रखी है उस पर पहला हक बैंकों का है न कि किसानों का। सुप्रीम कोर्ट बैंकों की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करने को राजी हो गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत पांच सितंबर को राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की याचिका स्वीकार करते हुए 31 अक्टूबर तक गन्ना किसानों का सारा बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपनी निगरानी में चीनी मिलों के पास रखी चीनी का सत्यापन करा कर बिक्री कराएंगे और राशि को अलग खाते में रखकर किसानों का बकाया भुगतान करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि इस प्रक्रिया में बैंकों के साथ हुए टैगिंग करार का भी ध्यान रखा जाए। इस आदेश से बैंकों के पास गिरवी रखे चीनी स्टॉक की बिक्री भी हो रही थी। इसीलिए बैंकों ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शुक्रवार को बैंकों की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की पीठ के समक्ष याचिकाओं का जिक्र करते हुए शीघ्र सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो सारी चीनी बिक जाएगी और उनकी याचिका महत्वहीन हो जाएंगी। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चीनी बेच कर बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है।

मिलें खर्च कर चुकी पैसा : चीनी मिलें बैंकों से ली गई करीब 1,668 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर चुकी हैं। मिलों की हाई कोर्ट में दलील थी कि उनके पास पैसा नहीं है और चीनी बैंकों के पास बंधक है इसलिए वे पैसा नहीं दे सकतीं। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिलाधिकारियों का वैधानिक कर्तव्य है कि वह किसानों का पैसा दिलाएं। चीनी मिलें किसानों के भुगतान के लिए मिले धन को अन्य मदों में खर्च नहीं कर सकतीं।

गन्ना भुगतान

- हाई कोर्ट ने 31 तक किसानों को भुगतान का दिया है आदेश
- बंधक चीनी की बिक्री के आदेश के खिलाफ खटखटाया दरवाजा

बैंकों की दलील

कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सोमवार को मामले पर सुनवाई की मंजूरी दे दी। बैंकों की दलील है कि बंधक रखी चीज पर पहला हक पैसा देने वाले का होता है। इसलिए जो चीनी बैंक के पास बंधक रखी है वह नहीं बेची जा सकती। गन्ना किसानों का बकाया अदा करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह का कहना है कि चीनी मिलों पर किसानों का 9,377 करोड़ बकाया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद से अभी तक किसानों को करीब 2000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार ने स्वयं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया था कि चीनी मिलों ने बैंकों से पैसा उठाकर अलग मदों में खर्च कर दिया और किसानों का भुगतान नहीं किया।

11/10/2014 DAINIK JAGRAN

Pg. 23